


न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर, संभाग रीवा म०प्र० 390

R 5164-II/17



RS
90/-

- 1-राजेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री कृपाल सिंह बघेल
- 2-रावेन्द्र सिंह पिता स्व० श्री कृपाल सिंह बघेल
- 3-नरेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री कृपाल सिंह बघेल
- 4- बृजेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री कृपाल सिंह

सभी निवासी ग्राम शुक्ला तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०
निगराकार/अपीलान्त/ आपत्तिकर्ता

बनाम

- 1- मनोज कुमार कुशवाहा पिता श्री जवाहर लाल कुशवाहा निवासी ग्राम टिकुरिया टोला तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र० आवेदक/रेशपा०/गैर निगराकार
- 2- लवकेश सिंह तनय स्व० श्री सहादेव सिंह
- 3- कमलेश्वर सिंह तनय स्व. श्री सहादेव सिंह

दोनो बहैसियत मुख्तार आम संतभान सिंह आयु 23 साल तनय श्री कमलेश्वर सिंह निवासी बरदाडीह तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र० अनावेदक/ रेशपा० गण/ गैर निगराकार

निगरानी बिरुद्ध आदेश दिनांक 30-3-2017 जो न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना म०प्र० द्वारा क्रमांक 23 अपील/2014-15 में अन्तरवर्तीय आदेश पारित किया जाकर अपील अवेट होने के कारण निरस्त किया गया है।

अर्न्तगत धारा 50 म०प्र० भू० रा० सं०

मान्यवर,

निगराकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि -

21/05/18


(266)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.5164-म/17..... जिला स.प.ग.

राजेश सिंह विरुद्ध मतोय कुमार्

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री विश्वनाथ कुमार् (सिमाही) अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील शुभराजपुर के प्रकरण क्रमांक 23/अपी.न.114/15 में पारित आदेश दिनांक 30-3-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-03-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	1-



मान्यवर,

निगराकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि -